उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सेवायें) अनुभाग–2
संख्या–57/2019/एस–2–2825/दस–2019–87(267)/2017
लखनऊ :: दिनांक :: 28 नवम्बर, 2019

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 वित्त एवं लेखा समूह–'ख' के अधिकारी श्री प्रमोद कुमार कटियार, वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, एटा द्वारा अपने पत्र दिनांक 21.08.2019 के माध्यम से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2– श्री प्रमोद कुमार कटियार, वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, एटा के अनुरोध पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2, भाग–2 से 4 के मूल नियम–56 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत उन्हें दिनांक–30.11.2019 के अपरान्ह से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति एत्दद्वारा प्रदान करते हैं।

प्रकाश बिन्दु,
विशेष सचिव

संख्या–57/2019/एस–2–2825(1)/दस–2019–87(267)/2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) निदेशक, कोषागार निदेशालय, लखनऊ को उनके पत्र सं0–4510/36(1526)/2019/को0नि0/स्था0 दिनांक 13.11.2019 के सन्दर्भ में
(3) बेसिक शिक्षा अधिकारी, एटा।
(4) अपर निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, प्रयागराज।
(5) वरिष्ठ कोषाधिकारी, एटा।
(6) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
(7) संबंधित अधिकारी की वैयक्तिक पत्रावली हेतु।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

28/11/19

(प्रकाश बिन्दु)
विशेष सचिव।